

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक - 2438 /27-4 फतेहपुर, दिनांक 02/02/2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :- विन्ध्य टेली लिन्क्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजईपुर-नरैनी-सातों-औरई-रामपुर किमी० 0.00 से 27.50 तक एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर किमी० 0.00 से 59.00 तक कुल 86.50 किमी० एवं 0.8961 हे० वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या 2298/81-2-2020-800(48)/2020 दिनांक 23.12.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1535/11-सी दिनांक 29.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या 2298/81-2-2020-800(48)/2020 दिनांक 23.12.2020 से 17 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिरक्षण द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्नक सहित (4 प्रतियों में) निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

Sr.No.	Conditions	Status of Compliance
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 1
2	ओ० एफ० सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाई जायेगी।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 2
3	ओ० एफ० सी० केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 3
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर काम्पैक्ट करना होगा कि भू रक्षण की संभावना न हो।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 4
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 5
6	वन-भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 6
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य संपादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिरक्षण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र सततग्न है। - पेज संख्या - 7

कार्यालय पता - प्रभागीय निदेशक कार्यालय, वी०आई०पी० रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर - 212601

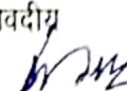
दूरभाष / फ़ैक्स - 05180 - 224493, ई - मेल - dfofatehpur@gmail.com

8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Rights) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 8
9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद सिद्धार्थ नगर में लुम्बनी दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10-10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रु० 80,37,000.00 दिनांक 24-08-2020 को जमा कर दिया है, जिसके सन्दर्भ में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, सिद्धार्थ नगर का धनराशि जमा किए जाने का प्रमाण पत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 9,10
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 11
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 12
12	भारत सरकार के पत्र संख्या – 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या – J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	लागू नहीं - प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 13
13	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	लागू नहीं प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। पेज संख्या – 14
14	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 15
15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बढ़ता प्रमाणपत्र सलंगन है। – पेज संख्या – 16
16	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ पूर्व में ही सलंगन कर दिया गया था जिसकी छायाप्रति सलंगन है। पेज संख्या – 17-18

17 -	उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का वचन बद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है। - पेज संख्या - 19
------	--	--

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर का स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम -1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (पेज संख्या 20)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 फतेहपुर

पत्रांक 2438 / समदिनांक -

प्रतिलिपि प्रोजेक्ट हेड, विन्ध्या टेलीक्स लिमिटेड, ई0पी0सी0 डिवीजन प्लॉट नं0 ई 237 टावर ग्रीन, तृतीय तल फेज-8बी औद्योगिक क्षेत्र मोहाली पंजाब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 फतेहपुर

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग , फतेहपुर

विषय - विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी 86.5, कुल 0.8961 हे0 वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने जाने की अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव - FP/UP/OFC/34588/2018)

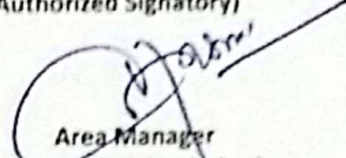
सन्दर्भ - उत्तर प्रदेश शासन की सैधान्तिक स्वीकृति संख्या -2298/81-2-2020-800(48)/2020
दिनांक-23.12.2020

Sr.No.	Conditions	Status of Compliance
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 1
2	ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन /मार्गों /सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तो के किनारे -किनारे ही बिछाई जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 2
3	ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 3
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर काम्पैक्ट करना होगा कि भू रक्षण की संभावना न हो ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 4
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 5
6	वन-भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 6
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य संपादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 7
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Rights) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 8
9	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान	कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद सिद्धार्थ नगर में

	पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	मुम्बई दुदी मार्ग के दोनों तरफ 10-10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा कर दिया है जिसके सन्दर्भ में संबंधित प्राप्त पत्र सलंगन है। प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 9,10
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 11
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 12
12	भारत सरकार के पत्र संख्या - 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या - J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया जायेगा	लागू नहीं - वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 13
13	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	लागू नहीं - वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 14
14	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 15
15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 16
16	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलंगन - पेज संख्या - 17-18

	तम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	
17	उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न - पेज संख्या - 19

(Authorized Signatory)



Area Manager

Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI

AREA MANAGER

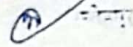
VINDHYA TELELINKS LTD.

KANPUR CLUSTER, KANPUR

C.S.

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

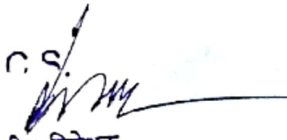
प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी 86.5, कुल 0.8961 हे0 वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

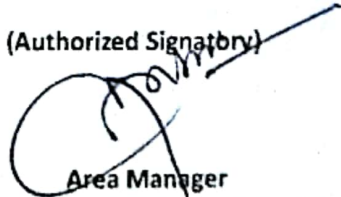
C.S.
प्रमाणीय निदेशक
सांसारिक वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)
Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
DARVIZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन /मार्गों /सड़को/वर्तमान अधिकारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे ।


प्रभागीय निदेशक
ग्रामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
AREAMANAGER
VINHYA TELELINKS LTD.
KURUP CLUSTER, RAMPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में ओ० एफ० सी० केबिल /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।


प्रभागीय निदेशक
जनसंचार वानिकी क्ल एवं दूरज्योतिष प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० प्रस्तावक एंजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

VINDHYA TELELINKS LTD.
KATRA, CH. STER, MATHURA

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी 86.5, कुल 0.8961 हे0 प्रस्तावक एंजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
वाणिज्यिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

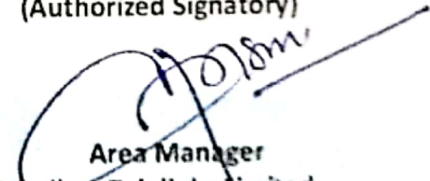
C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामयिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)
Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Rights) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद सिद्धार्थ नगर में लुम्बनी दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10 -10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि जमा कर दिया है ,जिसके सन्दर्भ में सम्बंधित प्राप्त पत्र सलग्न है ।

सलग्नक - Page-10


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर।
पत्रांक- 625 / 10-1 दिनांक : सिद्धार्थनगर अगस्त 28 / 2020.

कोश में

एरिका मैनेजर
विन्ध्या टेली लिमिटेड लि
ई0पी0सी0 डिबिजन
प्लॉट नं०-६-237, टावर बीना
बडो पलौर फेज-V III B
Industrial Area Mohali-1600055
पंजाब।

विषय- सिद्धार्थनगर जनपद में लुम्बिनी दुहरी मार्ग के दोनों तरफ 10-10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनो में वृक्षारोपण किये जाने हेतु धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- वन संरक्षक बस्ती घुत्ता, बस्ती का पत्रांक-392/8-3-3 दिनांक 20.08.2020 एवं आपका पत्रांक-25 / बी०टी०एल० ओ०एफ०सी०/आर०ओ०डब्ल्यू०, दिनांक 25.08.2020.

महोदय,

अवगत करना है कि वन संरक्षक, बस्ती घुत्ता, बस्ती के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में विन्ध्या टेलीलिमिटेड कम्पनी द्वारा उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं०-3544/14-2-2008 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-88/11सी, दिनांक 10.07.2020 के अनुक्रम में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लुम्बिनी-दुहरी मार्ग के दोनों तरफ 10-10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनो के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत योजना/प्रकल्पन के अनुसार ₹०-80,37,000.00 (₹०-अस्सी लाख सैतिस हजार मात्र) की धनराशि दिनांक 24.08.2020 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर के पंजाब नेशनल बैंक, उसका रोड, सिद्धार्थनगर जिसका आई०एफ०ए०सी० कोड PUNB0396300 एवं खाता संख्या 3963001100000092 में NEFT के माध्यम से जमा करा दिया गया है।

उक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

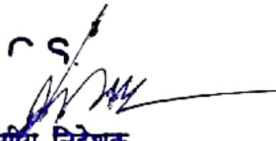
28.08.20
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

संख्या / उक्त दिनांकित
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2- वन संरक्षक, बस्ती घुत्ता बस्ती।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू स्वामी से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा ।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)


Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

DARVEZ FAROOQ ANSARI
Area Manager
VINDHYA TELELINKS
JANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोयाक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस एवं कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य हेतु, भारत सरकार के पत्र संख्या - 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या - J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने , यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ़ नेशनल बोर्ड ऑफ़ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया जायेगा - लागू नहीं

CS.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन-एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य करने के लिये-- यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी -लागू नहीं

C.S.

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजैव प्रभाग

फतेहपुर

(Authorized Signatory)

Area Manager

Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGERVINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य करने से पूर्व समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अन्नापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(Authorized Signatory)


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर


Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी , दिनांक 08.07.2011 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो - दर्शाया गया है

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)
Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं है एवं आदिम जनजाति /प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं - जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा निर्गत / जारी FRA प्रमात्र पत्र सलंग्न है ।

सलंग्नक - Page-18

C.S.
प्रभागीय निर्देशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

(Authorized Signatory)
Area Manager
Vindhya Telelinks Limited
PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)

No. 880/27-4

Dated..... 25-9-18

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of The Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modifications of above said letter, MOEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights to schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide ministry of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 28-10-2014

It is further certified that:-

- a) An area of 0.8961 Hectare of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose favor of Vindhya Telelinks Ltd., for laying of OFC along with below roads ROW in Social Forestry Division of Fatehpur District.
 1. At road on Khaga-Vijaipur-Naraini-Santo-Aeorai-Rampur from Km. 0.0 To Km. 27.50 & Khaga-Naubasta-Husainganj-Fatehpur from Km. 0.0 To 59.00 .Total KM 86.50 KM & 0.8961 Ha. In Forest Division, District: Fatehpur , UP of Protected Forest Land.
- b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups of agriculture Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of protected forest land.
- c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded populations of Schedule Tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the agency is barest minimum.

C.S.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

District Magistrate
Fatehpur

(AUNIADEYA KUMAR) (D)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौवस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी 86.5, कुल 0.8961 हे0 वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर केंद्र सरकार / राज्य सरकार / मा० न्यायालयों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(Authorized Signatory)



प्रभागीय निदेशक

सामयिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Area Manager

Vindhya Telelinks Limited

AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वन संरक्षण अधिनियम-1980 सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा-विजैपुर-नरैनी-सन्तो - औराई -रामपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 27.50 एवं खागा-नौबस्ता-हुसैनगंज-फतेहपुर मार्ग किमी 0.0 से किमी 59.00 तक की कुल लम्बाई किमी० 86.5, कुल 0.8961 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग अनुमति के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम -1980 का उल्लंघन नहीं किया गया ।

(Authorized Signatory)


Area Manager
Vindhya Telelinks Limited

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

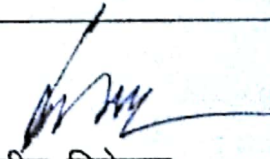
प्रमाणित किया जाता है कि विन्ध्य टेली लिन्क्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में खागा- विजईपुर - नरैनी - सातों - औरई - रामपुर किमी० 0.00 से 27.50 तक एवं खागा -नौबस्ता - हुसैनगंज - फतेहपुर किमी० 0.00 से 59.00 तक कुल 86.50 किमी० एवं 0.8961 हे० वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में विन्ध्य टेली लिन्क्स लि० द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।



प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृक्ष एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Prapatra-1

S. No	Details	Compliance
1	2	3
1	CA amount as per proposal	Rs. – 0.00
2	CA amount deposited	Rs. – 0.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per proposal	Rs. - 0.00
6	NPV amount deposited	Rs. -0.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited- (Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
10	CAMPA confirmation	-


 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 फतेहपुर